सं0-9-2018/674/62-2-2018-2/3(29)/2017

प्रेषक,

शरद कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 2018

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-83 के अधीन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"- Other Interventions के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश की सीमा तक अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2216/ल0सि0/बजट-पी0एम0के0एस0वाई0 (एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0)/2016-17,दिनांक-08.02.2018,वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं शासनादेश दिनांक 20.11.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना-02-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0201-पर ड्राप मोर क्राप (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-2000.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-4023/62-2-2017-2/3(29)/2017 दिनांक 13.06.2017 द्वारा जारी की गयी धनराशि रू0-292.61 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0-1707.39 लाख में से केन्द्राशं की धनराशि रू0-358.00 लाख (रू0- तीन करोड़ अटठावन लाख मात्र) श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"-Other Interventions की योजना के निर्धारित कम्पोनेन्ट पर किया जायेगा। अन्य किसी मद/योजना में इसका व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अधीन किया किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्या-1668/62-2-2016, दिनांक-04.7.2016 में निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण/व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.08.2017 एवं शासनादेश दिनांक 20.11.2017 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- मासिक व्यय विवरण आगामी माह की 05 तारीख तक

2- आवंटन का समर्पण 15-03-2018 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2018 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अधीन "लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना-02-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0201-पर ड्राप मोर क्राप (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य में" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 20.11.2017 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(शरद कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-674(1)/62-2-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।